126

संख्या– / xxiv(7) / 12–14(घो.) / 11

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी,नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–7 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 25 सितम्बर, 2012

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2012–2013 में जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय सोमेश्वर के चाहरदीवारी निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या डिग्री विकास / 11058 / 2011–12 दिनांक 09.11.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 राजकीय महाविद्यालय सोमेश्वर के चाहरदीवारी निर्माण हेतु टी0ए0सी0 वित्त द्वारा अनुमोदित धनराशि रू0 104.62 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष रु. 50.00 लाख की धनराशि (रु0 पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– स्वीकृत धनराशि का आहरण निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा करने के उपरान्त सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में व्यय नहीं किया जायेगा तथा अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई अन्य व्यय नहीं किया जायेगा एवं समय–समय पर निर्गत वित्तीय एवं मितव्ययता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा–निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– स्वीकृत धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्माण कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को अवगत कराया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपभोग 03 माह में आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाय एवं प्राचार्य द्वारा योाजना का समुचित पर्यवेक्षण किया जायेगा तथा निर्माण इकाई द्वारा विलम्ब करने की दशा में शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। विलम्ब की दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

4– निदेशक उच्च शिक्षा कार्यदाई संस्था को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व कार्यदाई संस्था से एक सप्ताह में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि के विरुद्ध एकेडिमिक रिक्वायरमेंट के अनुरुप समय सारणी अनुसार कार्य पूर्ण करने की लिखित सहमति प्राप्त कर लेगें यदि लिखित समयावधि के अर्न्तगत कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो, एक माह का ग्रेस पीरियड देते हुये कार्यदाई संस्था से 5 प्रतिशत आर्थिक जुर्माना वसूला जायेगा।

.....2/

(5)

5– तृतीय पक्ष गुणवत्ता (Third party quality) सुपरविजन तथा अनुश्रवण की व्यवस्था सी0बी0आर0आई0 रुडकी से सुनिश्चित कर ली जाय, परन्तु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की जानी होंगी। इसका व्यय कार्यदायी संस्था को देय चार्जेज (Centage) से किया जायेगा। तृतीय पक्ष गुणवत्ता की विस्तृत सूचना उपलब्ध होने पर अंतिम अवशेष किस्त का भुगतान किया जायेगा।

6– शासनादेश संख्या 475/xxvii(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 में निर्धारित प्रारुप पर कार्यदायी संस्था के साथ समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) हस्ताक्षरित करवाते हुये एक प्रति शासन को भी उपलब्ध करायी जाय।

7– कार्य करने/व्यय करने से पूर्व अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

8– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक की अनुदान सं0 11 के आयोजनागत पक्ष के अधीन लेखा शीर्षक–4202–शिक्षा खेल कूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–203–विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा–आयोजनागत–03–कतिपय राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किया जाना–24–बृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

9– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 49(p)/xxvii (3)/2012–13 दिनांक 31 जुलाई, 2012 में दी गयी सहमति से निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृठाकिंत सं0 1702 (1)/xxiv(7)/12–14(घो.)/11तद्दिनांककित।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2–आयुक्त कुमायू मण्डल नैनीताल।
3–जिलाधिकारी अल्मोडा।
4–कोषाधिकारी हल्द्वानी–नैनीताल।
5–प्ररियोजना प्रबन्धक उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना वि0नि0लि0 यूनिट भीमताल नैनीताल।
6–प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय सोमेश्वर जनपद अल्मोडा।
7–निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
8–बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय देहरादून।
9–वित्त अनु0–3/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
10–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वेदीराम)
अनु सचिव